भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

विज्ञापन संख्या: आईसीएमआर/निदेशक/बीएमएचआरसी/02/2026-आरपीसेल

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख: 07.06.2026

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। आईसीएमआर अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और देश भर में स्थित इसके 29 संस्थानों/केंद्रों और अपने अनेक फील्ड स्टेशनों के माध्यम से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से जैव-चिकित्सा/स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य कर रहा है।

परिषद अपने आईसीएमआर-भोपाल स्मारक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, भोपाल, मध्य प्रदेश में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (1,44,200-2,18,200 रुपये) (7वां वेतन आयोग स्केल) और परिषद के कर्मचारियों के लिए यथा ग्राह्य भत्तों सहित 'निदेशक' के 01 (एक) रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) भरने हेतु 7 जून, 2026 को सायं 5:30 बजे तक भारतीय नागरिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करता है।

2. पात्रता और अनिवार्य अर्हकता एवं अनुभव

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, स्वायत्त या सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, या मान्यता प्राप्त संस्थान, या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:

(क) **(I)** मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पदधारी; या

(II) वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल 13A (रु.131100-216600) में या मूल कैडर या विभाग में समतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा; या

(III) वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल 13 (रु.123100-215900) या मूल कैडर या विभाग में समतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा; और

(ख) निम्नलिखित अर्हकता और अनुभव होना:

(I) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची *या* तृतीय अनुसूची के भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस) डिग्री (लाइसेंसधारी योग्यता को छोड़कर)। शैक्षिक अर्हकता [तृतीय अनुसूची के भाग-II में शामिल शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी अधिनियम की *धारा-13 की उपधारा* (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा।]

(II) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी चिकित्सा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री;

(III) शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासनिक अनुभव सहित व्यवसाय में सोलह वर्षों का अनुभव, जिसमें किसी चिकित्सा महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में आवश्यक

स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता प्राप्त करने के बाद सात वर्षों का प्रशासनिक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

नोट 1: तीन वर्षीय 'डॉक्टरेट ऑफ़ मेडिसिन' (डी.एम.) या Magister Chiruguie (M.Ch.) की योग्यता रखनेवालों के मामले में, ऐसी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या Magister Chiruguie (M.Ch.) की अवधि को आवश्यक शिक्षण अनुभव की आवश्यकता के रुप में माना जाएगा।

नोट 2: तीन वर्षीय 'डॉक्टरेट ऑफ़ मेडिसिन' (डी.एम.) या Magister Chiruguie (M.Ch.) की योग्यता रखनेवालों के मामले में, ऐसी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या Magister Chiruguie (M.Ch.) की अवधि को संबंधित व्यापक विशेषज्ञता में आवश्यक शिक्षण अनुभव के रुप में माना जाएगा।

नोट 3: डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या Magister Chiruguie (M.Ch.) की पाँच वर्षीय योग्यता रखने वालों के मामले में, ऐसी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या Magister Chiruguie (M.Ch.) के पिछ्ले दो वर्षीय में की गई वरिष्ठ स्नाकोत्तर रेजिडेंसी की अवधि को आवश्यक शिक्षण अनुभव के रुप में माना जाएगा।

नोट 4: किसी अन्य पद, यथा जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहते हुए प्राप्त किए गए शिक्षण अनुभव पर पात्रता के उद्देश्य से विचार नहीं किया जाएगा।

नोट 5: अन्यथा, सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में, लिखित रूप में दर्ज कारणो के लिए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट है।

नोट 6: यह छूट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में लिखित रूप में दर्ज कारणों के साथ अनुभव से संबंधित योग्यता में सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर छूट दी जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि चयन के किसी भी चरण पर इन समुदायों के ऐसे पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार, जिनके पास अपेक्षित अनुभव हो, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

नोट 7: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्पावधि अनुबंध भी शामिल है) – जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में, इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पाँच साल से अधिक नहीं होगी।

3. **आयु सीमा:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) से नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक 58 (अठावन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. **नियुक्ति की अवधि:** इस पद की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष है, जिसे 5 वर्षों तक या अधिवर्षिता की आयु तक बढ़ाया जा सकता है, जो भी पहले हो।

5. **आवेदन कैसे करें:**

   i. इच्छुक और पात्र अधिकारी अपना आवेदन, परिषद की वेबसाइट (https://www.icmr.gov.in/employment-opportunities) पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में, कैडर नियंत्रक प्राधिकरण के माध्यम से सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, वी. रामलिंगस्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110029 को **07.06.2026 को या**

उससे पहले जमा कर सकते है। आवेदन की अग्रिम प्रति भेजी जा सकती है, किंतु कैडर नियंत्रक प्राधिकरण की स्वीकृति के साथ भेजे गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।

ii. आवेदनों को आगे भेजते समय, **कैडर नियंत्रक प्राधिकरण को वे सभी दस्तावेज़ भेजे जाए जिनकी आवश्यकता नियोक्ता/ कैडर नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र में होती है (जो आईसीएमआर की वेबसाइट पर संलग्न हैं)।**

iii. आवेदन के साथ निम्नलिखित स्व-प्रमाणित अपेक्षित दस्तावेज़ भी संलग्न किए जाने हैं :-

क) जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।

ख) शैक्षणिक योग्यताएँ।

ग) अनुभव।

6. अन्य शर्तें:

i अंतिम दिनांक के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन, या अधूरे आवेदन, अथवा उचित माध्यम से प्राप्त न होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय या उसके बाद किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन में कोई गलत जानकारी दिये जाने या कोई भी सामग्री छिपाए जाने की स्थिति में, उनकी उम्मीदवारी/सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

iii उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता से एक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह वचन दिया गया हो कि "आवेदक को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।"

iv चयन के बाद आवेदक को अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

v किसी भी उम्मीदवार द्वारा डाला गया कोई भी बाहरी प्रभाव (राजनीतिक या अन्यथा) उसे अयोग्य घोषित कर देगा।

vi कोई भी मामला, जिसके लिए कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं दिए गए है, उसका निर्णय परिषद द्वारा किया जाएगा और यह निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।

vii कोई भी अतिरिक्त विवरण/सूचना केवल परिषद की वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से आईसीएमआर वेबसाइट की देखें।

viii विज्ञापन के खिलाफ भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद नई दिल्ली न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

ix. **अल्प-सूचीबद्धता - मानदंड:-**

क. अल्प-सूची परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों पर आधारित है।

ख. प्रथमतः, आयु, शैक्षिक योग्यता और अनुभव (जहां अपेक्षित हो) के संबंध में न्यूनतम पात्रता पूरी करने वाले सभी अभ्यर्थियों की अल्प-सूची तैयार की जाएगी।.

ग. यदि अल्प-सूचीबद्ध किए गए ऐसे उम्मीदवारों की संख्या अधिक है और उन सभी को साक्षात्कार के लिए बुलाना संभव नहीं है, तो परिषद के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात महानिदेशक, आईसीएमआर द्वारा निर्धारित किए कुछ उपयुक्त अल्प-सूचीबद्ध मानदंडों के आधार पर अभ्यर्थियों को आगे भी अल्प-सूचीबद्ध किया जाएगा, जैसा कि किया जा सकता है। हालांकि गुणवत्ता (मेरिट) के आधार पर यह हर मामले में अलग-अलग हो सकता है, आमतौर पर परिषद संबंधित क्षेत्रों में उच्च

अनुभव वाले उम्मीदवारों या उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को बुलाने पर प्राथमिकता देता है। जैसा भी मामला हो और जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है।

नोट: किसी भी तकनीकी सहायता या भुगतान से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे (IST) के बीच 011-26589167 पर कॉल करें या query.rpcell@icmr.gov.in पर ईमेल करें।

हस्त.

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

****